मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

•••

ज्ञापन

क्रमांक 356 /८८६:१:३: भोपाल, दिनांक 28 मई, १९६६

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
म० प्र०

विषय:- शासकीय अस्थाई कर्मचारियों को अर्ध स्थाई घोषित करने बाबत।

•••

शासन के समक्ष ऐसे उदाहरण आये हैं जिनसे यह ज्ञात हुआ है कि अभी भी ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जिन का सेवाकाल दस वर्ष या उससे अधिक समय का हो चुका है परन्तु उन्हें न तो स्थाई किया गया है और न ही अर्ध स्थाई घोषित किया गया है।

२. अस्थाई कर्मचारियों को अर्ध स्थाई घोषित करने के लिये राज्य शासन व्दारा प्रसारित किये गये मध्य प्रदेश शासकीय सेवक :अस्थाई तथा स्थाई सेवा: नियम १९६० की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त नियमों के नियम ३ में जो प्रावधान रखा गया है वह निम्न प्रकार है :-

"३. कोई भी शासकीय सेवक स्थाईवत सेवा में समझा जायगा :-

:एक: यदि वह लगातार ३ वर्षों से अधिक समय तक अस्थाई सेवा में रहा हो और

:दो: यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने स्थाईवत हैसियत में नियोजित किये जाने के लिये आयु, अर्हता, कार्य तथा चरित्र के संबंध में उसकी उपयुक्तता से संतुष्ट होकर ऐसे अनुदेशों के अनुसार जैसे कि राज्यपाल समय समय पर जारी करें उस आशय की घोषणा जारी की हो।

३. उपरोक्त प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक २५०५:सी.आर.२६४:१:३:६० दिनांक २८:१०:६० में जारी किये गये आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये शासन व्दारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से कार्यान्वित किये जाय एवं संबंधित अधिकारियों को

.......२

निर्देश दिये जावें कि अस्थाई कर्मचारियों को अर्ध स्थाई घोषित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जावे ।

:नागेन्द्र मोहन व्यास:
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 357 ८८६:१:३: भोपाल, दिनांक 28 मई, १९६६

प्रतिलिपि :-

१. निबंधक, उच्च न्यायालय, म० प्र०
सचिव, लोक सेवा आयोग, म० प्र०
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म० प्र०

२. राज्यपाल के सचिव । सैनिक सचिव, म० प्र०
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म० प्र०

३. स्थापना अधिकारी । लेखा अधिकारी । पंजीयक म० प्र० सचिवालय

४. मुख्य मंत्री । उप मुख्य मंत्री । मंत्री । राज्य मंत्री ।
उप मंत्री के निजी सचिव । निजी सहायक

को सूचनार्थ ।

अवर सचिव